निर्णय लोक अदालत न्याय आपके द्वार

श्री के.आर.चौहान सहायक कलक्टरएवं उपखण्ड अधिकारी(RAS) देवगढ़

केम्प पारड़ी

प्र.सं 1/2018 प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक15.05.2018

अनवान

1. श्री रणसिंह पिता बख्तावरसिंह रावत नि. कुलांची तह. आमेट हाल पारडी तह. देवगढ़ जि. राजसमंद

.........प्रार्थी

बनाम

1. श्री उमसिंह पिता उदयसिंह रावत नि. कुलांची तह. आमेंट जि. राजसमंद
2. श्री मांगुसिंह पिता उदयसिंह रावत नि. कुलांची तह. आमेंट जि. राजसमंद
3. श्री रेवतसिंह पिता उदयसिंह रावत नि. कुलांची तह. आमेंट जि. राजसमंद
4. श्री नाथुसिंह पिता हीरासिंह रावत नि. कुलांची तह. आमेंट जि. राजसमंद

.........विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111,128 राज. ले. रे. एक्ट

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ की ग्राम [redacted] बणजारिया पटवार हल्का पारडी तहसील देवगढ़ में प्रार्थीगण के स्वामित्व आधिपत्य व खातेदारी कबजे की भूमि स्थित हैं जिसके आराजी नम्बर 128/124 शा. नं. 1,2,3,4 रकबा 6.00 कुल किता 1 रकबा 6.00 बीघा भूमि हैं। उक्त वार्णित कुलिया आराजीयात पर प्रार्थी का निर्बाध रूप से काश्त करते आ रहे हैं किन्तु प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि के चारों तरफ पत्थर की पक्की बाउण्डी अथवा सीमा चिन्ह नहीं होने से विपक्षी जो प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि के सीमा से मिलते हुए पड़ौसी हैं, हर समय फसल बवाई तथा कटाई के सीमा सम्बधित विवाद करते रहते हैं जिससे प्रार्थी को अनावश्यक मुकदमें बाजी के लिये विवश होना पड़ता हैं। मौके पर अशांति कायम रहती हैं। जिससे प्रार्थी उसकी भूमिका शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग काश्त वगैरह नहीं कर पा रहें हैं यदि प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि की बादनपती पत्थरगढी हो जाती है तो इस समस्या का हमेशा हमेशा के लिए समाधान हो जाऐगा तथा प्रार्थी उसकी भूमिका का शन्तिपूर्वक काश्त उपयोग उपभोग वगैरह कर सकेगा। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा कर प्रार्थी की उक्त वर्णित खातेदारी भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किये गये। प्रत्युतर में विपक्षीगण सं. 3 उपस्थित होकर प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढी किये जाने पर सहमति होकर कोई आपति नहीं होना बताया व बाकी विपक्षी को सम्मन जारी हो जाने पर विपक्षी सं. 1, 2 व 4 अनुपस्थित रहे। प्रार्थी ने विपक्षीगण के विरूद्ध कारवाई नहीं करने बाबत निवेदन किया जिस पर विपक्षीगण के विरूद्ध कारवाई डोप की गई। प्रार्थी की बहस सुनी विद्वान वकील प्रार्थी ने बहस में तर्क दिया की प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि के चारों तरफ पत्थर की बाउण्डी अथवा स्थाई सीमा चिन्ह नहीं हैं जिससे विपक्षी जो प्रार्थी की भूमि से मिलते हुए पड़ोसी है हर समय फसल बुवाई व कटाई के प्रार्थीगण की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। कभी प्रार्थीगण की भूमि को हांक लेते है कभी घास फसल काट लेते हैं यदि प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि की बादनपती पत्थरगढी हो जाती हैं तो इस समस्या का स्थाई समाधान हो जायेगा।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र नकल जमाबन्दी एवं पत्रावली में संलग्न अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा विद्वान वकील प्रार्थी की बहस पर ममन किया। ग्राम मोजा बणजारिया पटवार हल्का पारडी तहसील देवगढ़ की नकल जमाबंदी सं. 2071 से 2074 में प्रार्थी उक्त वर्णित भूमि के खातेदार हैं। खातेदार उसके खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी करा सकता हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा ग्राम [redacted] बणजारिया पटवार हल्का पारडी तहसील देवगढ़ में स्थित प्रार्थी की आराजी नम्बर 128/124 शा. नं. 1,2,3,4 रकबा 6.00 कुल किता 1 रकबा 6.00 बीघा भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे की प्रार्थी से नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क जमा करा पक्षकारान को सूचित करा मौके पर पत्थरगढ़ी की जाकर रिपोर्ट पैश करें।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प पारड़ी में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़ जिला राजसमंद